UPSR010007952024

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या –15/2024

राजेन्द्र कुमार विकृतचित्त आयु लगभग 46 वर्ष पुत्र भगौती, निवासी भेसरी, दा० फुलवरिया शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती द्वारा वाद मित्र श्रीमती नइका (प्राकृतिक माता) आयु लगभग 88 वर्ष पत्नी भगौती, निवासी भेसरी, दा० फुलवरिया, शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती।

––––––––अपीलार्थी।

बनाम

1– नीरज जैन आयु 31 वर्ष पुत्र आनन्द जैन, निवासी इन्द्रा नगर, रिसिया,

2– महमूद खां आयु 49 वर्ष पुत्र रमजान खां, निवासी गलगल कोटिया,

3– रक्षाराम यादव आयु 51 वर्ष पुत्र बलेश्वर यादव, निवासी हरदत्तनगर गिरण्ट, परगना चर्दा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती।

4– राज कमल मित्तल आयु 61 वर्ष पुत्र भगवान मित्तल, निवासी गुलाम अलीपुरा, परगना व तहसील बहराइच, जिला बहराइच।

5– गरिमा मित्तल आयु 49 वर्ष पत्नी मनोज मित्तल, निवासी गुलाम अलीपुरा, परगना व तहसील बहराइच, जिला बहराइच।

6– सार्थक मित्तल आयु 31 वर्ष पुत्र मनोज कुमार मित्तल, निवासी गुलाम अलीपुरा, परगना व तहसील बहराइच, जिला बहराइच।

7– सृष्टि मित्तल आयु लगभग 29 वर्ष पुत्री मनोज कुमार मित्तल, निवासी गुलाम अलीपुरा, परगना व तहसील बहराइच, जिला बहराइच।

––––––––––प्रत्यर्थीगण।

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.03.26 19:54:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थी (मूल वाद के वादी) ने मूल वाद संख्या 248/2023, राजेन्द्र कुमार बनाम नीरज जैन आदि की पत्रावली में विद्वान सिविल जज (अवर खण्ड), श्रावस्ती द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.04.2024 के विरूद्ध संस्थित किया है।

2– आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थी (मूल वाद के वादी) के प्रार्थना पत्र 6 ग को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आक्षेपित आदेश से क्षुब्ध होकर यह प्रकीर्ण सिविल अपील अपीलार्थी ने योजित किया है।

3– अपील में अपीलार्थी का संक्षिप्त कथन है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.04.2024 विधि विरुद्ध है। गाटा संख्या 52 मि० रकबा 0.910 हे० मौजा फुलवरिया, शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती में स्थित है, जिसके असंक्रमणीय भूमिधर काश्तकार के रूप में राजेन्द्र कुमार का नाम दर्ज अभिलेख है। राजेन्द्र कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जिसके सम्बन्ध में मेडिकल अथारिटी, श्रावस्ती द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या UP502081976051963 जारी किया गया है और वाद मित्र उक्त सम्पत्ति पर प्राकृतिक माता के रूप में काबिज व दखील है। अपीलान्ट ने रेस्पाण्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा दिनांकित 07.04.2023 व प्रस्तुत आपत्ति 6 ग दिनांकित 07.04.2023 के विरुद्ध जवाबुलजवाब सवाल दिनांक 30.11.2023 को प्रस्तुत किया, किन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाबुलजवाब पर विश्वास न करके रेस्पाण्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व आपत्ति 6 ग पर विश्वास करके अपीलान्ट को प्राप्त स्टे आदेश निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट, रेस्पाण्डेन्ट संख्या 4 (राजकमल मित्तल) व रेस्पाण्डेन्ट संख्या 5,6,7 से पूर्व परिचित था और वास्ते दवा इलाज जब भी बहराइच जाता था, तो रेस्पाण्डेन्ट संख्या 4 के घर रुकता था। चूंकि अपीलान्ट व रेस्पाण्डेन्ट संख्या 4 के घरेलू सम्बन्ध थे, इसलिये अपीलान्ट उन पर पूर्ण विश्वास करता था। इसी विश्वास का लाभ उठाकर रेस्पाण्डेन्ट संख्या 5 ता 7 के अभिभावक मनोज कुमार मित्तल व रेस्पाण्डेन्ट संख्या 4 द्वारा फर्जी व गलत तरीके से मुफ्त इलाज कराने हेतु पंजीकरण कराने हेतु भिनगा तहसील लाये और दिनांक 31.05.2007 को बैनामा लिखवा दिया। अपीलान्ट को बैनामा बावत् रेस्पाण्डेन्ट संख्या 4 व रेस्पाण्डेन्ट संख्या 5 ता 7 के पिता मनोज कुमार मित्तल

द्वारा कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया। यदि कोई प्रतिफल का भुगतान किया गया, तो रेस्पाण्डेन्ट द्वारा जवाबदावा में इसका उल्लेख किया जाता। अपीलान्ट (राजेन्द्र कुमार) लगभग 20 वर्ष से मानसिक रूप से विक्षिप्त है और राजेन्द्र कुमार का दवा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा० प्रकाश मोहन बेरी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके साक्ष्य के रूप में अपीलान्ट के पास वर्ष 2008 से वर्ष 2022 तक के पर्चे पत्रावली में दाखिल हैं तथा पूर्व में बनवाये गए पर्चे आगजनी में जल जाने के कारण उपलब्ध नहीं है। रेस्पाण्डेन्ट नं० 4 (राजकमल) तथा रेस्पाण्डेन्ट संख्या 5,6,7 के पिता मनोज कुमार मित्तल द्वारा दिनांक 31.05.2007 में बैनामा करवाने के उपरान्त वर्ष 2023 तक दाखिल खारिज नहीं कराना और करवाने के उपरान्त वर्ष 2023 तक दाखिल खारिज नहीं कराना और कब्जा न करना तथा सीधे बैनामा से बैनामा करना, इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बैनामा दिनांकित 31.05.2007 कूटरचित बैनामा है। इसके बावजूद विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 6 ग निरस्त कर दिया।

4– अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची ग–6/1 के माध्यम से आदेश की प्रमाणित नकल, आधार कार्ड की छायाप्रति व फार्मल आदेश पत्रावली में दाखिल किया गया है।

5– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस आधार अपील यह लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति अपीलार्थी के पक्ष में है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किये बिना आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त करते हुये प्रार्थना पत्र 6 ग स्वीकार किये जाने की याचना है।

6– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं तर्कपूर्ण है। कथित विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील निरस्त किये जाने की याचना है।

7– अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अपीलार्थी (वादी) ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 6 ग में संक्षेप में यह कथन किया है कि गाटा संख्या 52 मि० रकबा 0.910 हे० मौजा फुलवरिया, शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती के खाता खतौनी संख्या 765 में गाटा संख्या 52 मि० रकबा 0.910 सन् फसली 14–14 में राजेन्द्र कुमार का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और राजेन्द्र कुमार विकृतचित्त है और वाद मित्र जरिए प्राकृतिक संरक्षक उस पर काबिज व दखील है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार के उस पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। वाद मित्र का प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधा का संतुलन भी वाद मित्र के पक्ष में है। प्रतिवादीगण द्वारा उस पर कब्जा कर लिये जाने से वाद मित्र को अपूर्णनीय क्षति होगी।

प्रत्यर्थीगण (प्रतिवादीगण) का आपत्ति 15 ग में संक्षेप में कथन है कि राजेन्द्र कुमार वादी गाटा संख्या 52 मि० रकबा 0.910 हे० मौजा फुलवरिया, शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती के पूर्व में संक्रमणीय भूमिधार काश्तकार थे, जिन्होंने स्वेच्छा से विवादग्रस्त सम्पत्ति को 3 लाख रुपये में प्रतिवादी नं० 4 राज कमल व प्रतिवादी नं० 5 गरिमा मित्तल के पति व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता मनोज मित्तल के हक में दिनांक 31.05.2017 को विक्रय कर दिया। विक्रय की तिथि से विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या 4 राज कमल व मनोज कुमार मित्तल का कब्जा दखल था। बाद में मनोज कुमार मित्तल के वारिसान का कब्जा व दखल रहा। प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने विवादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 नीरज जैन, महमूद खां व रक्षाराम यादव के पक्ष में दिनांक 03.03.2023 को पंजीकृत बैनामा कर दिया, तब से वे उस पर काबिज दखील हैं। दिनांक 31.05.2007 को राजेन्द्र प्रसाद पूर्ण स्वस्थ थे। वादी ने गलत मेडिकल प्रपत्र दाखिल किया है। वादी ने महज हैरान व परेशान करने की नियत से दावे के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न तो वादी का प्रथम दृष्टया केस है और न ही कोई सुविधा का संतुलन है और न ही उन्हें कोई अपूर्णनीय क्षति है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के यूकल्पिटस के 50 पेड़ विवादग्रस्त सम्पत्ति पर लगे हैं, जिसका उल्लेख बैनामा दिनांकित 03.03.2023 में है। वादी ने जो चौहद्दी दर्शायी है, वह गलत है।

9– इस प्रकीर्ण सिविल अपील के निस्तारण हेतु मुख्य अवधार्य बिन्दु निम्नलिखित है –

1– क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ग पर पारित आक्षेपित आदेश मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायपूर्ण है?

2– अनुतोष?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 1–</u>

10– यह अवधार्य बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग पर पारित आक्षेपित आदेश मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायपूर्ण है?

11– उभय पक्ष द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष किये गये अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति गाटा संख्या 52 मि० रकबा 0.910 हे० मौजा फुलवरिया, शाहपुर, परगना नानपारा, तहसील जमुनहा, जनपद श्रावस्ती के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार अपीलार्थी (वादी) राजेन्द्र कुमार थे। प्रत्यर्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से यह कथन किया गया है कि दिनांक 31.05.2017 को राजेन्द्र कुमार ने विवादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी नं० 4 राज कमल व प्रतिवादी नं० 5 गरिमा मित्तल के पति व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता मनोज मित्तल के हक में कर दिया तथा उसका कब्जा दखल दे दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 के हक में प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 7 ने विवादग्रस्त सम्पत्ति को दिनांक 03.03.2023 को जरिये पंजीकृत बैनामा कर दिया, तब से विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 का कब्जा दखल है। वादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दाखिल जवाबुलजवाब से यह स्पष्ट है कि राजेन्द्र कुमार द्वारा किये गये बैनामें तथा उसके पश्चात् उस बैनामें के आधार पर किये गये बैनामें के अनुसार नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में दिनांक 21.04.2023 को हो चुका है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख प्रतिवादीगण के पक्ष में है, जिससे प्रथम दृष्टया वाद वादी का नहीं बनता। वादी की ओर से यह कहना है कि बैनामें की तिथि पर वादी विक्षिप्त था। वह सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता था। यह साक्ष्य का विषय है। चूंकि उभय पक्ष द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष किये गये अभिवचनों के अनुसार बैनामा अभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में वादी का प्रथम दृष्टया वाद नहीं बनता। चूंकि प्रथम दृष्टया वाद वादी का नहीं है अतः उसे अपूर्णनीय क्षति व असुविधा होने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। उभय पक्ष द्वारा दौरान बहस यह कहा गया है कि उभय पक्ष मौके पर विवादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज हैं। यह साक्ष्य के बाद ही तय होगा कि मौके पर कौन सा पक्ष काबिज है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग का निस्तारण करते समय यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया केस वादी का नहीं है तथा अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था काशी मठ संस्थान

बनाम श्रीमद सुधीन्द्र तीरथ स्वामी ए०आई०आर० 2010 एस०सी० 296 का उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रथम दृष्टया मामला साबित न होने की स्थिति में यदि सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी/वादी के हक में बनती हो, तो भी उसके हक में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निर्गत नहीं की जा सकती। इस मामले में दोनों ही पक्ष वर्तमान समय में भी विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना –अपना कब्जा होना न्यायालय के समक्ष अभिवचित कर रहे हैं। चूंकि प्रथम दृष्टया वाद वादी का नहीं है इसलिये उसके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, इसलिये वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय ने वादी के प्रार्थना पत्र 6 ग को निरस्त करके किसी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की है। विद्वान अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत है।

तद्नुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 2–</u>

12– यह अवधार्य बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है। अवधार्य बिन्दु संख्या 1 के विश्लेषण व निष्कर्ष के प्रकाश में स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद के दृष्टिकोण के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ग का न्यायसंगत निस्तारण किया है। अतः प्रकीर्ण सिविल अपील में कोई बल नहीं है। इसलिए अपीलार्थी इस अपील में किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष विवादग्रस्त भूमि (आराजी) पर अपना–अपना कब्जा होना अभिवचित कर रहे हैं। न्याय की मंशा होती है कि भूमि (आराजी) का उपयोग अर्थात् भूमि पर कृषि कार्य होता रहे, जिससे उसकी उपयोगिता मानव समाज के हित में बनी रहे। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु वर्तमान समय में कर रहा है वह मुकदमें के निस्तारण तक उसका उपयोग कृषि कार्य हेतु करता रहे।

13– उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण तथा अवधार्य बिन्दुओं के निष्कर्षों के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.04.2024 पुष्ट होने योग्य है।

आदेश

14– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–15/2024 निरस्त की जाती है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या – 248/2023 की पत्रावली में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 30.04.2024 पुष्ट किया जाता है। चूंकि दोनों ही पक्ष विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने–अपने कब्जे का अभिवचन कर रहे हैं, इसलिये जो भी पक्ष काबिज होगा, उसका कब्जा विवादग्रस्त आराजी पर बना रहेगा और वह उसका उपयोग कृषि कार्य हेतु करता रहेगा। कोई भी पक्ष मुकदमें के निस्तारण तक विवादग्रस्त आराजी पर स्थायी निर्माण नहीं करेगा। उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

उभय पक्ष विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2026 को उपस्थित हो।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली प्रति प्रेषित की जाये।

दिनांक 26.03.2026

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।

उपर्युक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 26.03.2026

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती।